कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, नानपारा, बहराइच

अल्पकालीन निविदा

ई–टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो की निविदा सूचना संख्या–01/अधि0अभि0/2017–18

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑन लाइन **http://etender.up.nic.in/**केमाध्यम से प्री–क्वालीफिकेशन टेक्निक्ल बिड एवं प्राईस–बिड/फाइनेन्शियल बिड, सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक **19.01.2018** को **पूर्वान्ह 10:00** बजे से **दिनांक 25.01.2018** को **अपरान्ह 13:00** बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्री–क्वालीफिकेशन टेक्निक्ल बिड दिनांक **29.01.2018** को अपरान्ह **15:00** बजे अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, नानपारा, बहराइच के कार्यालय में निर्धारित समिति द्वारा ऑनलाइन खोली जायेगी एवं प्री–क्वालीफिकेशन बिड में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के प्राइस–बिड/फाइनेन्शियल बिड खोलने की तिथि कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने या छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय प्राप्त की जायेगी।

लाट संख्या	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	मात्रा	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)		कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य + जी0एस0टी0 + स्टेशनरी चार्ज	पंजीकृत श्रेणी
				लाख रू0 में	बन्धक हेतु अधि0अभि0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	डिकरा माइनर के किमी0 0.000 से 3.000 के मध्य नवनिर्मित नहर के मिट्टी की खुदाई का कार्य।	22.00	बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार	0.44	अधि0अभि0 स0न0ख0ना0	45 दिन	300.00 + 54.00 + 500.00	'बी' या उच्च

1. यह निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट **http://upgov.nic.in/**, सूचना विभाग की वेबवाइट **http://information.up.nic.in/** तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट **http://irrigation.up.nic.in/** पर भी उपलब्ध है।
2. यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट **http://etender.up.nic.in/** पर उपलब्ध है। निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र (IDT-1) (IDT-2) (IDT-3) व अन्य प्रपत्र/अभिलेख की स्कैन्ड प्रति संलग्न किया जाना तथा उपरोक्त बेबसाइट पर आनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से ड्राइंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में वे सम्बन्धित **अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, नानपारा, बहराइच** के कार्यालय से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे।
3. पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1) हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2) स्व–घोषणा शपथ पत्र (IDT-3) की मूलप्रति न्यूनतम् निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात् उपलब्ध कराना अनिवार्य है, तथा समस्त पत्रों की स्कैन्ड कापी निविदादाता द्वारा अपनी निविदा के साथ ई टेन्डर पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा।
4. निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी।
5. Technical Evaluation by Tender Committee will be done as per the procedure described in detailed bid document &financial bid will be opened of only qualified bidders of technical bid. Date of opening of Financial bid will be decided on the basis of total no. of bids submitted & notified on notice board & e-portal.
6. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ में ई–टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा। उक्त कारपोरेशन के माध्यम से ई–टेण्डरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।
7. निविदादाता को धरोहर धनराशि (वैध अवधि 6 माह), निविदा क्रय धनराशि चालान सहित तथा IDT-1, IDT-2, IDT-3, निर्धारित श्रेणी का प्रमाण पत्र, अन्य आवश्यक मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में न्यूनतम् निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात् निर्धारित की गयी तिथि को जमा करने होंगे, जिसकी सूचना निविदादाता को अलग से दी जायेगी, अन्यथा उनकी बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा विभाग में उनके पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही जो कि नियमानुसार अनुमन्य होगी की जायेगी।
8. प्रथम न्यूनतम् निविदादाता की बिड Unresponsive हो जाने पर द्वितीय न्यूनतम् निविदादाता स्वतः प्रथम न्यूनतम निविदादाता हो जायेगा तथा उन्हें मूल अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा तथा

तत्काल प्रभाव से प्रथम न्यूनतम् निविदादाता का कोई भी क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

9. प्रत्येक निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड (Financial / Price Bid) के साथ रू0 100/– जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रू0 1/– का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कापी ऑनलाइन निविदा के साथ जमा करनी है एवं न्यूनतम् निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात् मूल उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। नियमानुसार देय वाणिज्य कर/जी0एस0टी0, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी, लेबर सेस आदि प्रचलित टैक्स देनी होगी। अनुबंध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी तथा शेष जमानत की धनराशि भी जमा करनी होगी।

10. निविदा प्रपत्र के मूल्य मय जी0एस0टी एवं स्टेशनरी चार्ज सहित ट्रेजरी चालान के माध्यम से जो, कि निविदा एवं स्टेश्नरी लेखा शीर्षक 0701–80–800–01–00 में एवं जी0एस0टी0 की धनराशियां जी0एस0टी0 मद में प्रदेश के किसी भी राजकीय कोषागार में जमा किया जायेगा। चालान में निविदा सूचना संख्या, लाट संख्या तथा सम्बन्धित कार्य का पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा तथा ट्रेजरी चालान **अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, नानपारा, बहराइच** के पक्ष में जमा की जायेगी। ट्रेजरी से प्राप्त प्राप्तगी रसीद की मूलप्रति को स्कैन कर ई–पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदादाता की निविदा को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।

11. अर्नेस्ट मनी/धरोहर धनराशि, एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0, अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत हों, **अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, नानपारा, बहराइच** के पक्ष में बन्धक होना अनिवार्य है। इसकी स्कैन्ड कापी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। अर्नेस्ट मनी/धरोहर धनराशि के रूप में बैंक गारण्टी मान्य नहीं होगी। अनुबंध के समय मूलरूप में वाँछित प्रतिभूति के अभिलेख मूलरूप में जमा कराना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में **शासनादेश सं0–52/1439/17–27–सिं–03–07/विविध/17, दिनांक 09.10.2017 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार ई–टेण्डरिंग के समय निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों की स्कैन कापी व प्रतिभूति प्रमाण पत्र विभाग के नाम बन्धक कराने पर प्राप्त ट्राँजेक्शन नं0 को भी निविदा के समय बेवसाइट पर डाली जायेगी तथा निविदा स्वीकार होने पर मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग को निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रतिभूति धनराशि मूलरूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही भी की जायेगी।**

12. निविदादाता द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सिविल इंजीनियरिंग के कार्य में किसी एक वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर, कार्य जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, के अनुमानित लागत से कम नहीं होना चाहिए।

13. निविदादाता को पिछले पांच वित्तीय वर्षों में किसी एक वर्ष में कार्य जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, के प्राक्कलित लागत के 50 प्रतिशत मूल्य के बराबर के समान प्रकृति के संतोषजनक कार्य जो उनके नाम से गठित एकल अनुबंध के माध्यम से कराया गया हो, का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

14. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

15. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं कोई भी जानकारी के लिए सम्बन्धित **अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, नानपारा, बहराइच** से किसी भी कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।

16. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी /ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

17. इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

18. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

19. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

20. राज्यवार काउन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

21. एक निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा क्रय कर सकेगा एवं डाल सकेगा।

22. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में ही उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

23. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑन–लाइन/नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायगी। निविदा की प्रक्रिया ऑन–लाइन शुरू होने के पष्चात् किसी भी लॉट के सम्बंध में समस्त अग्रिम कार्यवाही सिर्फ ऑन–लाइन ही होगी, प्रत्येक निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा की प्रकिया शुरू होने के पष्चात् ऑन–लाइन निविदा के सम्बंध में होने वाले किसी भी संषोधन/श्षुद्धि–पत्र की जानकारी प्राप्त करता रहे, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

24. विशेष परिस्थितियों में निविदादाता से यदि कोई भी सूचना इत्यादि निविदा की प्रक्रिया ऑन–लाइन शुरू होने के पष्चात प्राप्त करना होगा तो वह कार्यालय के ई–मेल आई0डी0 eesnknanpara@gmail.com द्वारा निविदादाता के ई–मेल आई0डी0 से मांगी जा सकती है, जिसे नियत समय के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सूचना नियत/निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध न कराने की दशा में निविदादाता की निविदा को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।

25. ई–पोर्टल पर प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता द्वारा IDT-1, IDT-2, IDT-3, निर्धारित धरोहर/प्रतिभूति धनराशि, अनुभव प्रमाण पत्र एवं I.D. Form-112 (निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर सहित) ठीक–ठीक स्कैन कर अपलोड किये गये है या नहीं, इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता की बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।

26. ऑन–लाइन बिडिंग तथा कार्य से सम्बन्धित प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु एक प्री–बिड मीटिंग दिनांकः **18.01.2018** को पूर्वान्ह **10:00 से 12:00 बजे** तक **अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, नानपारा, बहराइच** के कार्यालय में आयोजित की गयी है जिसमें इच्छुक ठेकेदार भाग ले सकेंगे। समय स्थान में परिवर्तन की सूचना 1 दिन पहले घोषित कर दी जायेगी।

27. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि निविदादाता द्वारा किसी भी स्तर पर नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबंध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।

28. अन्य शर्तें एवं कार्य स्थल का विवरण निविदा प्रपत्र एवं पूर्ण अर्हता निर्धारण प्रपत्र (प्री–क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड) में संलग्न है।

29. निविदा से सम्बन्धित विस्तृत एवं अन्य जानकारी **अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, नानपारा, बहराइच** से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

30. निविदा प्रपत्र, वैयक्तिक मालिकाना फर्म, भागीदारी फर्म, पब्लिक/प्राइवेट कम्पनी द्वारा निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को प्री–क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड, के साथ ई–टेन्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य हैः–

क– वैध पंजीयन की प्रति।
ख– आई0टी0आर0 (गतवर्ष)।
ग– समान कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र।
घ– गत वर्ष की बैलेन्स शीट।
ङ– वर्तमान में चल रहे कार्यों की सूची।
च– संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
छ– पैन कार्ड (छाया प्रति)
झ– निविदा क्रय से सम्बन्धित ट्रेजरी चालान की प्रति।

31. उपरोक्त दस्तावेजों का सत्यापन अन्तिम निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात् निविदादाता को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर करवाना होगा एवं उपरोक्त प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रमाण पत्र के गलत पाये जाने की स्थिति में निविदादाता के विरूद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जायेगी।

32. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रतिभूति धनराशि मूलरूप में प्रस्तुत नहीं की जाने पर निविदादाता के विरूद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।

33. शासनादेश संख्या–622 / 23–12–2012–2 आडिट / 08, टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार कार्यो की विभागीय दर से ठेकेदारों द्वारा दी गयी निविदत्त दर 1% से 10% तक कम होने पर 0.5% प्रति 1% की कमी पर तथा 10% से अधिक दरो की कमी पर 1% प्रति 1% की कमी पर अतिरिक्त परफारमेंस जमानत धनराशि देय होगी। यह परफारमेंस जमानत धनराशि निविदा में उल्लिखित धरोहर / जमानत धनराशि के अतिरिक्त देय होगी तथा अनुबन्ध के समय उक्त परफारमेंस जमानत धनराशि जमा करने की बाध्यता होगी, विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कराने में असफल रहने पर, धरोहर धनराशि तथा परफार्मेन्स जमानत धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

34. निविदा धनावंटन की प्रत्याशा में की जा रही है।

35. निविदा में सम्मिलित कार्य आवंटित बजट के अंतर्गत ही कराये जायेंगे।

36. सिंचाई विभाग में कार्यरत किसी अधिकारी / कर्मचारी के सगे सम्बन्धी ठेकेदार इस निविदा को खरीद एवं डाल नहीं सकते हैं, ऐसा पाये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर, धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड, नानपारा, बहराइच